न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा सत्यानी, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 12/16 **निर्णय दिनांकः– 22-2-21**
(जीसीएमएस संख्या 2016/00240)

1. गिरधारी पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल निवासी गोगडियाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

–रेस्पोडेन्ट्

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 03–09–2012
सहायक आयुक्त उपनिवेशन(प्रथम), बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) के आदेश दिनांक 03–09–2012 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने ... करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अ... ... एक वादपत्र अन्तर्गत ... 88,

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:28:05 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

188 व 136 के तहत प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 2 जीडब्ल्यूएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 49/39, 49/38, 49/31, 49/32 व 49/10 की 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई थी। अपीलांट द्वारा अपने वादपत्र के साथ तमाम दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिससे साबित था कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि रही है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का दावा बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एडमिशन के स्तर पर ही खारिज करने में कानूनी भूल कारित की है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील में यह अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि आराजीराज दर्ज भूमि है तथा अपीलांट को ट्रेसपासर मानते हुए अपीलांट का दावा खारिज किया गया है। जबकि इस संबंध में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का किसी प्रकार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अदालत मातहत को एडमिशन के स्तर पर ऐसी कार्यवाही करने के अधिकार हासिल नहीं होते हुए भी अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वादपत्र अतिकमी मानते हुए खारिज किया गया है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण की वस्तुस्थिति के मद्देनजर गलत व्याख्या की गई है क्योंकि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि रही है, जिसकी धोषणा हेतु धोषणात्मक वाद लाया जा सकता है। जिसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान निहित है तथा जिसके लिए कोई मियांद बाधक नहीं है।

अदालत मातहत ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर किये बिना व बिना विस्तृत विवेचन किये ही आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल की है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा इस महत्पवपूर्ण बिन्दु पर कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद में ना तो तनकीयात कायम की गई ना ही किसी प्रकार का कोई साक्ष्य ली गई ना ही अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अदालत मातहत द्वारा स्वयं अपीलाधीन आदेश में यह अभिलिखित किया गया है कि अपीलांट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Saxena
Date: 2021.03.12 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कब्जा बतौर अतिक्रमी रहा है। इस संबंध में अपीलांट स्वयं के द्वारा धारा 22 के जारी किये गये नोटिसेज की प्रतियॉ अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिससे प्रथम दृष्टया ही यह साबित होता है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट/वादीगण द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे जिनके आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि चक 2 जीडब्ल्यूएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 49/39, 49/38, 49/31, 49/32 व 49/10 की 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि की धोषणा करवाने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त करते हुए अपीलांट को वादगत् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट/वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व धारा 136 के तहत वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि चक 2 जीडब्ल्यूएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 49/39, 49/38, 49/31, 49/32 व 49/10 की 57 बीघा 10 बिस्वा के खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया। अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र अदालत मातहत द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप उक्त अपील अपीलांट् द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि रही है तथा अपीलांट द्वारा एडवर्स पजेशन के आधार पर वादग्रस्त भूमि की धोषणा करवाने का काननून अधिकारी होने से वादपत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व निर्णय का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अपीलांट द्वारा अदालत

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मातहत के समक्ष अपने पुराने कब्जे काश्त को आधार मानते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया है, परन्तु अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम गोगडियावाला के खसरा नम्बर ....रिक्त रखते हुए 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके नये चक 2 जीडब्ल्यूएम (बी) के मुरब्बा नम्बर 49/39, 49/38, 49/31, 49/32 व 49/10 की 57 बीघा 10 बिस्वा भूमि के बाबत् ऐसा राजस्व रिकार्ड यथा सेटलमेंट की प्रति, खसरा गिरदावरी, जमाबन्दी या ऐसा कोई आदेश कोई दस्तावेजी रिकार्ड जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पूर्वज नारायणराम की पुश्तैनी भूमि रही हो। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मात्र धारा 22 के नोटिस की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई है, जिससे प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है तथा जिसके लिये उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत कार्यवाही करते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाती रही है। वादगत् भूमि पर अपीलांट का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज है। अपीलांट केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट वादगत् भूमि की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं माने जा सकते।

अपीलांट द्वारा अदालत मातहत द्वारा की प्रकियात्मक कार्यवाही को आधार बनाते हुए न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है, परन्तु मामलें के गुणावगुण को दृष्टिगतृ रखते हुए यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट की हैसियत मात्र एक अतिकमी की है। ऐसी स्थिति में मात्र प्रकियात्मक खामियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अपीलांट अपने कथनों, राजस्व रिकार्ड, सबूतों व गवाहन के माध्यम से वादगत् भूमि के बाबत् अपने अधिकारों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम), बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03–09–2012 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22-2-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(पुष्पा सत्यानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pushpa Satyani
Date: 2021.03.12 11:28:05 IST
Reason: SelfAttested